न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 137/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. ओमप्रकाश पुत्र केसाराम जाति–सीरवी, निवासी–पिपलियां खुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. मंगाराम पुत्र केसाराम 2. भोलाराम पुत्र केसाराम 3. गोपाराम पुत्र केसाराम 4. सुखलाल पुत्र केसाराम जातियान–सीरवी, निवासीगण–पिपलियां खुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 5. तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

तारीख रजू:.31/05/2018

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान एवं चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 23/07/2019

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा पिपलियां खुर्द, पटवार हल्का पिपलियां खुर्द, भू.अ.नि. क्षैत्र जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 6–10 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 5–15 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 31–02 बीघा, खसरा नम्बर 145 रकबा 6–06 बीघा, खसरा नम्बर 147 रकबा 17–15 बीघा, खसरा नम्बर 329 रकबा 101–11 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के अपने हक हिस्सेनुसार पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति पर काबिज काश्त है नकल जमाबंदी साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिए बक्सीस के नामान्तरण से प्राप्त हुई जिसका जमाबंदी में दर्ज किया गया है तथा नामान्तरण की एवं जमाबंदी दर्ज की गई तथा मौके पर पक्षकारान् अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त है लेकिन नामान्तरण संख्या 338 दिनांक 20/09/1981 को दर्ज किया गया जिसमें जरिये बक्सीस के नामान्तरण में गौतम पुत्र केसाराम दर्ज किया गया है। तथा गौतम पुत्र केसाराम बाद नामान्तरण ही बाल्यावस्था में फौत हो गया जो वादी एवं प्रतिवादीगण का सगा भाई था जिनकी वंश वंशावली निम्नाबुसार है। केसाराम पुत्र गुमनाराम के पुत्र मगाराम, भोलाराम, गोपाराम, सुखलाल, गौतम (फौत), ओमप्रकाश है। उपरोक्त वंश वंशावली अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ही मृतक गौतम पुत्र केसा के वास्तविक हिनदु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् विधिक वारिसान है इस आशय का वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा कई बार निवेदन किया गया कि गौतम पुत्र केसा की सम्पति में वादी ही उपयोग उपभोग लेता है तथा वादी ही उसके हक हिस्से पर काबिज काश्त है। तथा गौतम पुत्र केसा के बाल्यावस्था में फौत हो जाने के कारण मौके पर काबिज कास्त एवं उपयोग उपभोग होने के आधार पर वादी ने कई बार पटवारी तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों अभियानों में गौतम पुत्र केसाराम के स्थान पर वादी को बतौर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कास्तकार घोषित करने एवं अपने नाम का राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरण दर्ज करवाने का निवेदन किया एवं हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत् एवं मौके पर काबिज काश्तनुसार पारिवारिक सहमतिनुसार वादी अपने नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है एवं वादी अपने नाम की गौतम पुत्र केसाराम के स्थान पर अपने नाम की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं राजस्व रेकर्ड नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। विवादित आराजी गौतम पुत्र केसाराम के हक हिस्से तक की सम्पूर्ण आराजी पर वादी की काबिज काश्त है वादी अपने नाम की खातेदारी अधिकारों की घोषणा पारिवारिक सेटलमेंट एवं सहमतिनुसार कानूनन हक अधिकार होने से दिनांक 18/05/2018 को पटवारी तहसीलदार आदि को इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश किया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय आदेश करवाने का कहा जिस पर वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की। प्रतिवादी संख्या एक से चार तक सह खातेदारी एवं खातेदारी संयुक्त सम्पति होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या पांच तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जो भूमिधारी राजस्थान सरकार प्रतिनिधि है। जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिया जाना डिस्पेन्सविद् किया जाकर बाद अनुमति प्रार्थनापत्र धारा 80(2) का साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 18/05/2018 को वादी ने तहसीलदार पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों को अपने नाम की घोषणा करने का कथन किया तो न्यायालय से आदेश लाने का कथन किया जो बमुकाम पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अंदर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 से 04 अनुपस्थित रहने पर उनके एकपक्षीय विरूद्ध कार्यवाही की गई। शाहदत वादी का साक्ष्य शपथ pw1 पेश किया गया। pw1 ने वाद के सभी तथ्य स्वीकार किया है। तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति मंगाई गई। तहसीलदार जैतारण का जवाब सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार ने लिखा है कि वादी ओमप्रकाश को भूमि बक्शीश नहीं की गई है। गौतम पुत्र केसा की भूमि वादी ओमप्रकाश की जानी है तथ्य न्यायसंगत नहीं है। गौतम पुत्र केसा का बाल्यावस्था में देहान्त हो गया। गौतम अविवाहित था। गौतम के वारिसान प्रतिवादी एवं बहन माता हकदार है उनके नाम ही नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था। गौतम के मरने के बाद वादी के पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है। वादी का दावा न्यायसंगत नहीं है। खारिज योग्य है।

बहस वकील वादी सुनी गई। वाद वादी ओमप्रकाश द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के पेश किया है। साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गौतम के नाम बक्सीसनामे के अनुसार नामान्तकरण संख्या 338 दर्ज किया गया। गौतम अविवाहित था। बाल्यावस्था में देहान्त हो गया था। गौतम के वारिसान के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिए। वादी को घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का कोई हक नहीं है। सेटलमेंट विभाग को दुरस्त करने का अधिकार है। बक्सीस में किये गये हस्तान्तकरण का दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के पेश करने का अधिकार नहीं है।

तहसीलदार जैतारण को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत रिमाण्ड किया जाता हैं कि गौतम के मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य माता, बहिन, प्रतिवादी के नाम वादी के नाम को जांचकर नामान्तकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/07/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner